



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 575/2026

श्रीमती प्रतिभा गुप्ता उर्फ प्रतिभा शल्य

..... आवेदक(ओं)

बनाम

प्रधान सचिव, गृह विभाग के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य,

.....विपक्षी

पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता

: अशोक कुमार सिंह, कपिल कुमार

यादव, प्रदीप कुमार सिंह

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 28

माननीय न्यायमूर्ति राजीव भारती

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उसने मुकदमा अपराध संख्या 183/2025 अंतर्गत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7, थाना कडाउरा जनपद जालौन में विचारण के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. अभियोजन कथानक के अनुसार, ठेकेदार श्री योगेंद्र सिंह के पुत्र श्री विवेक कुमार ने 25.11.2025 को पुलिस अधीक्षक, सतर्कता प्रतिष्ठान, झांसी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ग्राम धामना स्थित जूनियर हाई स्कूल में इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण का निविदा उनकी फर्म को दिया गया था। काम पूरा होने के बाद भी 8,78,262 रुपये का भुगतान लंबित था। आवेदक ने कथित

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

तौर पर भुगतान को मंजूरी देने के लिए 1,00,000 रुपये की अवैध रिश्वत की मांग की। सतर्कता विभाग द्वारा 10.12.2025 को एक जाल बिछाया गया।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि ठेकेदार समूह के बीच शत्रुता के कारण, जिसके लिए आवेदक ने पहले 25.4.2024 को थाना कडाउरा, जिला जालौन में मुकदमा अपराध संख्या 73/2024 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी, आवेदक (महिला) 10.12.2025 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक और शिकायतकर्ता दोनों ने घटनास्थल पर हाथ नहीं धोए थे। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।

5. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की अर्जी का विरोध किया और कहा कि आवेदक एक महत्वपूर्ण पद पर थी, लेकिन इसके बावजूद वह कानून के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रही और उसने रिश्वत की मांग की। बाद में जब उसे उसके घर पर ट्रैप टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया तो उसके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद हुई। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि जिस स्थान पर जाल बिछाया गया था, वहां न तो आवेदक और न ही शिकायतकर्ता ने अपने हाथ धोए थे।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों को सुनने के बाद, प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि जब आवेदक को उसके घर पर ट्रैप टीम द्वारा रंगे हाथों पकड़ा गया था, तब न तो आवेदक और न ही शिकायतकर्ता ने उस स्थान पर हाथ धोए थे जहाँ जाल बिछाया गया था; आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है; कानून यह स्थापित है कि जब तक दोष सिद्ध न हो जाए, आरोपी को निर्दोष माना जाता है और किसी भी आरोपी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की जमानत याचिका को दंडात्मक या निवारक उद्देश्यों से खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

7. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित विचार करने पर, विशेष रूप से इस तथ्य पर कि आवेदक एक महिला है जो 10.12.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है; और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है; आवेदक के न्यायिक हिरासत से भागने या गवाहों को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है; और वाद की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए इसे उपयुक्त वाद पाता हूँ।

8. तदनुसार, वाद की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** की जाती है।

9. आवेदक **श्रीमती प्रतिभा गुप्ता उर्फ प्रतिभा शल्य** को उपरोक्त वाद में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक निर्धारित तिथियों पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोकने के लिए प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

10. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियाँ जमानत आवेदन के निस्तारण से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

टिप्पणियों का वाद के विचारण के दौरान वाद की खूबियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

23 मार्च, 2026

शुक्ला

(न्यायमूर्ति राजीव भारती)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।